कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन

नामान्तरण

उ०प्र० न० नि० अधिनियम १९५९ की धारा २१३ के अन्तर्गत नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी समय वर्णित विभिन्न कारणों से कर निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा २१३ की उप धारा १ (ख) में यह प्राविधान है कि किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के सीन पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम को प्रविष्टि करके जिसे हस्तान्तरण (Transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व के अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो तो उपरोक्तानुसार नामान्तरण कर , कर–निर्धारण सूची में संशोधन किया जाता है। नामान्तरण हेतु स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति की प्रस्तावित किसी परिवर्तन या संशोधन करने के लिए कम से कम एक माह की नोटिस दिया जाता है।

प्रक्रिया :– नामान्तरण अथवा कर निर्धारण सूची में परिवर्तन या परिवर्धन करने हेतु उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम संशोधन या परिवर्धन के पश्चात अंकित होता है प्राथमिक स्वामित्व अथवा अध्यासन के प्रमाण–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र नगर निगम के सम्बन्धित जोन में प्राप्त कराया जायेगा। तथा स्टेशनरी शुल्क जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी। यह प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित वार्ड के लिपिक द्वारा हस्तान्तरण रजिस्टर में अंकित किया जाता है। तथा आवेदन कर्त्ता को वह क्रमांक दे दिया जाता है जिस पर उक्त आवेदन पत्र अंकित है। आवेदन–पत्र उपलब्ध अभिलेखों, शपथ–पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षक कर एवं राजस्व अथवा एतदर्थ नियुक्त अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की जाती है। तथा इस नामान्तरण के फलस्वरूप स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को एक महीने की नोटिस जारी की जाती है। निर्धारित अवधि में यदि इस नामान्तरण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर गुण दोष के आधार पर नामान्तरण किया जाता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो निर्णय लेते हुए आदेश पारित किया जाता है, और तद्नुसार सम्बन्धित कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन कर दिया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन अधिनियम की धारा २१० द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जायेगा। तथा धारा ४७२ के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा जिसपर अगली किस्त देय हो।

<u>नामान्तरण शुल्क / स्टेशनरी शुल्क</u>

क्र०सं०	विवरण	नामान्तरण शुल्क / स्टेशनरी शुल्क
१.	विरासत / उत्तराधिकार, वसीयत तथा विधिसम्मत तरीके से किये गये हिब्बा पर आधारित भवनों का नामान्तरण	रू० १००० / –
२.	भवनों के पंजीकृत विलेख / बैनामों, पंजीकृत दान–पत्र पर निम्नलिखित स्लैब के सर्किल रेट आधारित सरकारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण के आवेदन–पत्र के साथ नामान्तरण शुल्क जमा कराया जायेगाः–	
(क)	रू० ५,००,००० / – मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० २००० / –

(ख)	रू० ५,००,००१/— से रू० १०,००,०००/— मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० ४०००/—
(ग)	रू० १०,००,००१/— से रू० १५,००,०००/— तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० ६०००/—
(घ)	रू० १५,००,००१/— से रू० २०,००,०००/— लाख तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० ८०००/—
(ड़)	रू० २०,००,००१/— से रू० २५,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० १००००/—
(च)	रू० २५,००,००१/— से रू० ३०,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० १२०००/—
(छ)	रू० ३०,००,००१/— से रू० ३५,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० १४०००/—
(ज)	रू० ३५,००,००१/— से रू० ४०,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० १६०००/—
(झ)	रू० ४०,००,००१/— से रू० ४५,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० १८०००/—
(ञ)	रू० ४५,००,००१/— से रू० ५०,००,०००/— के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० २००००/—
(ट)	रू० ५०,००,००१/— एवं अधिक से विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रू० २५०००/—